न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–90 / 2018

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री पन्नाराम जाति नायक निवासी सांगानेर, प्रतापनगर, सैक्टर नं. –11 जयपुर
2. माडंली उर्फ मांडती देवी उम्र–43 वर्ष पत्नी बूटाराम जाति बावरी निवासी चक 2 एपीटी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)

—— **वादीगण**

बनाम्

1. बिदामीदेवी पुत्री किस्तुरीदेवी पत्नी पेमाराम जाति बावरी निवासीगण चक 29 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. संतरोदेवी पुत्री किस्तुरीदेवी पत्नी पेमाराम जाति बावरी निवासीगण चक 29 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. सीतादेवी पुत्री किस्तुरीदेवी पत्नी पेमाराम जाति बावरी निवासीगण चक 29 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
4. कालुराम पुत्र किस्तुरीदेवी पत्नी पेमाराम जाति बावरी निवासीगण चक 29 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
5. लालाराम पुत्र किस्तुरीदेवी पत्नी पेमाराम जाति बावरी निवासीगण चक 29 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
6. रानीदेवी पुत्री किस्तुरीदेवी पत्नी पेमाराम जाति बावरी निवासीगण चक 29 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
7. प्रकाशीदेवी पत्नी दानाराम जाति बावरी निवासी बांडा कालोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
8. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बाण्डा कालोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. जैलाराम पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बाण्डा कालोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. रोशनलाल पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बाण्डा कालोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. पवन कुमार पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बाण्डा कालोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
12. मनोहरी देवी पुत्री दानाराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति बावरी निवासी चक 10 केपीडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर(राज.)
13. राजीदेवी पुत्री दानाराम पत्नी पूर्णराम जाति बावरी निवासी बाण्डा कॉलोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

—**प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.02.10 13:02:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible]

उपस्थित–

1. श्री बलदेव सिंह एडवोकेट —वादीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट —प्रतिवादीगण सं.–1ता6 की ओर से

Priyanka

::निर्णय:: **दिनांक 25.11.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा

53 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि कृषि भूमि वाके चक 3 एलएसएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं.–291/397 का किला नं.–1 में 0.164 हैक्टर कमाण्ड किला नं.–2ता9 प्रत्येक सालम कमाण्ड, किला नं.–10/2 में 0.164 हैक्टर कमाण्ड, किला नं.–11/3 में 0.164 हैक्टर कमाण्ड, किला नं.–12ता19 प्रत्येक सालम, किला नं.–20/1 में 0.164 हैक्टर कमाण्ड, किला नं.–21/2 में 0.152 हैक्टर कमाण्ड, किला नं.–22/2 में 0.227 हैक्टर कमाण्ड, किला नं.–23/1 में 0.228 हैक्टर कमाण्ड, किला नं.–24/1 में 0.228 हैक्टर, किला नं.–25/2 में 0.228 हैक्टर कमाण्ड कुल 5.7670 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाना/पिता/दादा नत्थुराम के नाम से थी। नत्थुराम का देहांत हो चुका है तथा नत्थुराम क देहांत के प्श्चात उक्त कृषि वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जायेगा। प्रमाणित प्रतिलिपियॉ जमाबंदीया संलग्न वाद पत्र है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है तथा घरू बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सा की भूमि में फसल बिजांद कर रखी है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मुस्तरका खाता मे दर्ज होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर पानी लगाने, मालकाना आबयाना आदि जमा करवाने को लेकर विवाद पैदा हो जाता है जिससे रंजिश बढती है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है लेकिन वादग्रस्त भूमि मुस्तरका खाता मे होने के कारण आपस में मन मुटाव रहता है।विवाद व झगड़े से बचने के लिए वादीगण वादाधीन कृषि भूमि का बंटवारा करवाना चाहते है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि मुस्तरका खाता की भूमि होने के कारण अक्सर विवाद पैदा हो जाता है इसलिए स्थायी समाधान हेतु बंटवारा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में घरू बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा अनुसार किला नम्बर दर्ज करवा लिए जाने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हर बार टाल मटोल करते रहें। इस कारण वादीगण संयुक्त खाता की भूमि का घरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के विधिक आधिकारी है। अतः वाद–पत्र वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत एवं डिक्री किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1त6 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार ने उपस्थित होकर इकबालदावा प्रस्तुत हुआ। जबकि प्रतिवादी सं.–7ता14 समनों की सम्यक् रूप से तामिल होने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं हुये। फलतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में विवादित बिन्दू नही है तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नही होने की स्थिति में वादीगण का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार अनूपगढ से चाहा गया।

वाद में श्रवण कुमार पुत्र श्री पन्नाराम जाति नायक निवासी सांगानेर, प्रतापनगर, सैक्टर नं.–11 जयपुर को वादी संख्या–1ता3 ने अपने खाता की कृषि भूमि का बेचान और वादाधीन भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं.–1ता3 के नाम के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर टीनैन्ट प्रतिस्थापित होने के कारण वादी संख्या–1ता3 का नाम हटाये जाकर किया जाकर श्रवणराम का नाम बतौर वादी प्रतिस्थापित किया गया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया गया कि श्रवणराम को टीनैन्ट मानते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किला विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.02.10 13:02:38 IST
Reason: SelfAttested

Priyanka

उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक उक्त खाते के खातेदारान के विभाजन का प्रस्ताव मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	नाम खातेदार	चक का नाम	पत्थर/मुरब्बा नं.	किला नं.	रकबाकुल	विशेष विवरण
1	श्रवणकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक साकिन प्रतापनगर सांगानेर जयपुर	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	1/2 का 0.164, 2ता6 का 1.265, 7 का 0.013 हैक्टर	1.442 हैक्टर	–
2	कालुराम, बिदामीदेवी, रानीदेवी, लालाराम, संतरोदेवी, सीतादेवी पुत्र/पुत्रीयॉ कस्तुरीदेवी जाति बावरिया साकिन 9 केबी	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	7 का 0.240, 8ता9 का 0.506, 10/2 का 0.164, 11/2 का 0.164, 12 का 0.253, 13 का 0.115 हैक्टर	1.442 हैक्टर	–
3	मांडलीदेवी पुत्री नत्थुराम जाति बावरी साकिन 9 के बी	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	13 का 0.138, 14 का 0.253, 15 का 0.127, 17ता19 का 0.759, 20/1 का 0.164 हैक्टर	1.441 हैक्टर	–
4	दानाराम पुत्र नत्थुराम जाति बावरी साकिन	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	21/2 का 0.152, 22/2 का 0.227, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228, 25/2 का 0.228, 15 का 0.126, 16 का 0.253 हैक्टर	1.442 हैक्टर	–

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के समक्ष एवं इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने उपरांत किसी पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है। फलतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किए जाने में कोई विधिक बाधा नही है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है तथा वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश ::

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार किला विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार अनूपगढ़ [illegible] जाता है कि उपर्युक्तानुसार निर्णय में वर्णित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड [illegible] दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड [illegible] करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित [illegible]। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.02.10 13:02:38 IST
Reason: SelfAttested

Priyanka
(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

उनवान

ब–इजलास **सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.**
श्रवण कुमार आदि बनाम् बिदामी देवी आदि

दावा बाबत्– धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकद्मा नं.–90/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, अनूपगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वह निम्नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे–

क्र.सं.	नाम खातेदार	चक का नाम	पत्थर/मुरब्बा नं.	किला नं.	रकबाकुल	विशेष विवरण
1	श्रवणकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक साकिन प्रतापनगर सांगानेर जयपुर	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	1/2 का 0.164, 2ता6 का 1.265, 7 का 0.013 हैक्टर	1.442 हैक्टर	–
2	कालुराम, बिदामीदेवी, रानीदेवी, लालाराम, संतरोदेवी, सीतादेवी पुत्र/पुत्रीयाँ कस्तुरीदेवी जाति बावरिया साकिन 9 केबी	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	7 का 0.240, 8ता9 का 0.506, 10/2 का 0.164, 11/2 का 0.164, 12 का 0.253, 13 का 0.115 हैक्टर	1.442 हैक्टर	–
3	मांडलीदेवी पुत्री नत्थुराम जाति बावरी साकिन 9 के बी	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	13 का 0.138, 14 का 0.253, 15 का 0.127, 17ता19 का 0.759, 20/1 का 0.164 हैक्टर	1.441 हैक्टर	–
4	दानाराम पुत्र नत्थुराम जाति बावरी साकिन	3 LSM	291/397 मु. नं.–17	21/2 का 0.152, 22/2 का 0.227, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228, 25/2 का 0.228, 15 का 0.126, 16 का 0.253 हैक्टर	1.442 हैक्टर	–

तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

यह अंतिम डिक्री आज तारीख 25/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Priyanka
(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka T
Date: 2022.02.10 13:02:38 IS
Reason: SelfAttested